Monthly

मासिक

May 2019

स्मार्ट सिटी वाराणसी

अलौकिक · आध्यात्मिक · आधुनिक

नगर निगम, वाराणसी

नगर निगम, वाराणसी

नगर निगम, वाराणसी

E-news letter

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आई एमए) के भवन में नगर निगम वाराणसी की टीम द्वारा लाइसेंस फीस (अनुज्ञा शुल्क) वसूली हेतु कैंप लगाया गया। उक्त कैंप में बड़ी संख्या में चिकित्सकों द्वारा अपने संस्थान का अनुज्ञा शुल्क जमा किया गया इस कैम्प में नगर आयुक्त श्री आशुतोष कुमार द्विवेदी भी उपस्थित थे। नगर आयुक्त द्वारा सभी चिकित्सकों से अपील की गई है कि वे अपने चिकित्सा संस्थानों का लाइसेंस शुल्क (अनुज्ञा शुल्क) जमा कर जुर्माना पर दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त करें। नगर आयुक्त द्वारा आई एम ए के अध्यक्ष डा० भानुशंकर पांडेय से अपील की गई की नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से कैम्प लगाया जाए। डा० भानुशंकर पांडेय द्वारा जोनवार कैम्प लगा कर सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु सहमति दी गई। नगर निगम वाराणसी की ओर से कैम्प में श्री अरविंद कुमार, जोनल अधिकारी, श्री अवनिकान्त मिश्र, श्री दिनेश दुबे, कंप्यूटर प्रोग्रामर तथा कम्प्यूटर अपरेटर उपस्थित रहे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डा० भानु शंकर पांडेय, सचिव डा० मनीषा सिंह तथा डा० एन पी सिंह द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।

मुख्य संरक्षक

श्रीमती मृदुला जायसवाल,
मा0 महापौर

मुख्य संपादक

श्री आशुतोष कुमार द्विवेदी
नगर आयुक्त

संपादक

श्री अजय कुमार सिंह
अपर नगर आयुक्त

संकलन

श्री संदीप श्रीवास्तव
कोआर्डिनेटर, कम्प्यूटर सेल

कम्प्यूटर डिजाईन

टीम, कम्प्यूटर सेल

नगर निगम वाराणसी

सिगरा शहीद उद्यान के सामने वाराणसी 221010

Email- nagarnigamvns@gmail.com

Website-www.nnvns.org

Phone- 0542 222 1 711

Fax- 0542 222 1 702

Control Room Toll Free- 155304

दिनांक–01 अप्रैल 2019 को नगर निगम कार्यकारिणी कक्ष में आई.डी.पी0 के प्रतिनिधियों द्वारा ऑन लाईन नगर निगम पोर्टल पर नामान्तरण से संबंधित आवेदन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, समस्त जोनल अधिकारी, कर अधीक्षक, जायका प्रतिनिधि के साथ–साथ जोनल कम्प्यूटर आपरेटर भी उपस्थित रहे।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आई एमए) के भवन में नगर निगम वाराणसी की टीम द्वारा लाइसेंस फीस (अनुज्ञा शुल्क) वसूली हेतु दिनांक–8 अप्रैल 2019 से 10 अप्रैल 2019 तक कैम्प का अयोजन किया गया। कैंप में तीसरे दिन भी चिकित्सकों द्वारा अपने संस्थान का अनुज्ञा शुल्क जमा किया गया। दिनांक–10 अप्रैल 2019 को नगर के 69 अस्पतालों, पैथोल०जी सेंटर, नर्सिग होम, तथा एक्सरे क्लीनिक के ड०क्टरों द्वारा अपना लाइसेंस फीस जमा किया गया। अनुज्ञा शुल्क के रूप में दिनांक–अप्रैल 2019 को कुल 12.23 लाख की धनराशि जमा की गई। इस प्रकार तीन दिवसीय कैम्प में कुल 203 चिकित्सा संस्थानों द्वारा कुल 35 लाख अनुज्ञा शुल्क के रूप में जमा किया गया। चिकित्सा संस्थानों द्वारा जमा की गई यह धनराशि अब तक के वर्षो में सबसे अधिक है। नगर आयुक्त श्री आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा अवगत कराया गया कि नगर के शेष बचे चिकित्सा संस्थान अपना अनुज्ञा शुल्क 31 मई तक नगर निगम मुख्यालय स्थित लाइसेंस विभाग में जमा कर सकते हैं। 31 मई के बाद जमा करने पर अनुज्ञा शुल्क का 50 प्रतिशत जुर्माना के रूप में वसूल किया जाएगा। नगर आयुक्त महोदय द्वारा सभी चिकित्सकों से अपील की गई है कि वे अपने चिकित्सा संस्थानों का लाइसेंस शुल्क (अनुज्ञा शुल्क) 31 मई के पूर्व जमा कर दे तथा जुर्माना पर दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त करें। नगर निगम वाराणसी की ओर से कैम्प में श्री अरविंद कुमार, जोनल अधिकारी, श्री अवनिकान्त मिश्र, श्री दिनेश दुबे, कंप्यूटर प्रोग्रामर, आई टी एक्सपर्ट ड० अनूप वर्मा तथा कंप्यूटर अ०परेटर उपस्थित थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष ड० भानु शंकर पांडेय, सचिव ड० मनीषा सिंह तथा ड० एन पी सिंह द्वारा कैम्प में सहयोग किया गया।

लिए नगर निगम से अनुमति अनिवार्य

दिनांक–12 अप्रैल 2019 को नगर निगम टीम द्वारा शहर मे घुम रहे पशुओं को पकडने के कार्यवाही की गयी है। छुट्टे पशुओं को पकड़कर उन्हे गौशाल में भेजने की कार्यवाही की गयी।

गृहकर 30 अप्रैल 2019 तक जमा करेंगे तो 10 प्रतिशत छूट का लाभ उठाने हेतु दिनांक–16 अप्रैल 2019 को भेलूपुर जोन अन्तर्गत गृहकर छूट का लाभ उठाने हेतु भवनस्वामियों की उमड़ी भीड़। प्रथम दिन कुल 575 भवन स्वामियों द्वारा कुल रू. 688561.00 गृहकर जमा किया गया।

गृह कर 30 जून 2019 तक जमा करेंगे तो 10 प्रतिशत छूट

अमर उजाला ब्यूरो

वाराणसी। गृह कर जमा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। यदि आप 30 अप्रैल तक कर जमा करते हैं तो आपको दस प्रतिशत छूट मिलेगी। यह लाभ बकायेदारों को भी मिलेगा। नए वित्तीय वर्ष में 15 अप्रैल से गृह कर जमा करने का काम शुरू हो गया है।

नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 48 करोड़ रुपये गृह कर वसूली का लक्ष्य रखा है और कर वसूली का काम भी शुरू कर दिया है। पहले दिन 570 भवन स्वामियों ने 6.81 लाख रुपये गृह कर जमा किया, जबकि दूसरे दिन मंगलवार को करीब 900 गृहस्वामियों ने 14.41 लाख रुपये जमा किए। बुधवार को महावीर जयंती पर अवकाश होने के चलते कार्यालय बंद रहा।

नगर आयुक्त आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि वर्तमान गृह कर पर दस फीसदी छूट दी जा रही है। इसका लाभ पुराने करदाता भी उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में हाउस टैक्स के मद में करीब 42.5 करोड़ रुपये मिले हैं जो निर्धारित लक्ष्य का 98 फीसदी है। इससे उत्साहित निगम ने आगामी वित्तीय वर्ष में वसूली का लक्ष्य छह करोड़ बढ़ा दिया है।

48 करोड़ रुपये वसूली का लक्ष्य रखा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए

वर्तमान के साथ पुराना बकाया चुकाने पर भी मिलेगा लाभ

1470 भवन स्वामियों जमा किया गृह कर

शहर में 1,62,000 हजार मकान हैं, जिनसे गृह कर वसूला जाता है। बीते दो दिन में 1470 भवन स्वामियों ने 21.22 लाख रुपये गृह कर जमा किया है। नगर आयुक्त ने इस साल निर्धारित लक्ष्य पाने के लिए अधिकारियों को अभी से गृह कर वसूली पर ध्यान देने को कहा है।

दिनांक-29.04.2019 को दशाश्वमेध, कोतवाली, भेलूपुर तथा वरूणापार चारों जोनो मे पॉलिथिन एवं गन्दगी निरोधक अभियान चलाया गया जिसमें जिला प्रशासन द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर जोनल अधिकारी, दशाश्वमेध श्री धर्मराज सिंह जोनल स्वा0 अधिकारी कोतवाली श्री राम सकल यदव के नेतृत्व मे टास्क फोर्स के सदस्य श्री शिवेश तिवारी, श्री राजन यादव, श्री विवेक वोहरा द्वारा चौकी इंचार्ज (नाटी ईमली) श्री अतुल कुमार के सहयोग से चौकाघाट रोड से दो ट्रकों से लगभग साढ़े पांच टन पालिथिन/प्लास्टिक जब्त की गयी तथा दोनो ट्रकों से रू.50000.00 रूपया पचास हजार मात्र प्रशासन शुल्क वसूला गया। जोनल अधिकारी भेलूपुर जोन के नेतृत्व में लंका, वी0एच0यू0 एवं कोल्हुआ विनायका पर पॉलिथिन एवं गन्दगी निरोधक अभियान में रू. 4050.00 का जुर्माना 06 लोगो से लिया गया। पॉलिथिन प्रयोग करने पर 3 दुकानदारों का चालान भी किया गया। उक्त अभियान में जोनल सेनेटरी आफिसर श्री पी0एन0 गुप्ता, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक, श्री गौरी शंकर वार्ष्णेय एवं श्री शैलेश कुमार उपस्थित थे। जोनल स्वा0 अधिकारी-कोतवाली के नेतृत्व में कोतवाली जोन में पालिथिन/गन्दगी के विरूद्ध अभियान चलाया गया जिसमें कुल 04 चालान 500 ग्रा0 पालिथिन तथा रू. 1400.00 जुर्माना वसूला गया। वरूणापार जोन अन्तर्गत सभी सब जोनों मे प्रतिबंधित पालिथिन जब्त करने, दुकानदारों द्वारा गंदगी फैलाये जाने एवं भवन स्वामियों द्वारा मार्गो पर मलबा डाले जाने के विरूद्ध अभियान चलाया गया। उपरोक्त अभियान शिवपुर बाजार एवं पंचकोशी चौराहे के साथ भोजूबीर में संचालित किया गया उक्त कार्यवाही में सफाई निरीक्षक श्री लाल मणि यादव, शत्रुन्जय कुमार, अपर्णा वाजपेयी एवं विन्यानन्द के साथ सफाई सुपरवाईजर श्री अरविन्द, श्री राजकुमार, श्री सन्तोष कुमार एवं श्री सुनिल सम्मिलित रहें। अभियान के अन्तर्गत कुल 7 दुकानदारों पर गन्दगी फालने पर चालान तथा 15 दुकानदारों से रू.10800.00 जुर्माना वसूली गया।

दो ट्रक पॉलीथिन जब्त

50 हजार जुर्माना विभिन्न इलाकों में की गई कार्रवाई